न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 04/2019

1– देवाराम पुत्र स्व. छिगनाराम,
2– राजूदेवी पुत्री स्व. श्री छिगनाराम,
3–सराजदेवी पुत्री स्व. श्री छिगनाराम,
4–चांदूदेवी पुत्री स्व.चौथाराम,
5–गीतादेवी पुत्री स्व.श्री चौथाराम,
सभी जाति बावरी निवासीगण कालवा तहसील मकराना जिला नागौर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–रामेश्वर पुत्र स्व. श्री चौथाराम, जाति बावरी निवासी कालवा तहसील मकराना, जिला नागौर

2–भवंर लाल पुत्र स्व. श्री हरदीन, जाति बावरी निवासी कालवा तहसील मकराना, जिला नागौर।

3– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मकराना।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण संख्या 101 मौजा कालवा छोटा जो कि नायब तहसीलदार मकराना ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 30.05.1981 को स्वीकृत किया।

निर्णय

दिनांक:.18.08.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 30.05.1981 ग्राम कालवा छोटा तहसीलदार मकराना के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

[2] अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या एक व दो एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व. चौथाराम पुत्र स्व. दोलाराम बावरी निवासी कालवा छोटा बास तहसील मकराना के निवासी है। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है।

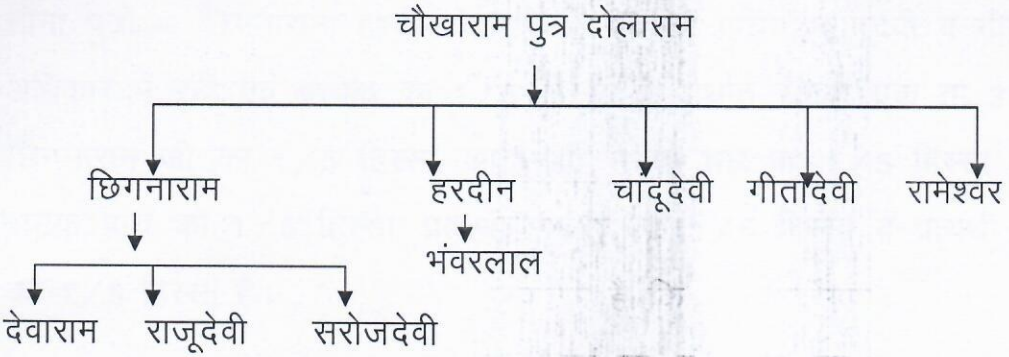

यह है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या एक व दो की 40 बीघा 15 बिस्वा पैतृक कृषि भूमि बोरावड़–मनाना मुख्य सड़क के पास (दक्षिण में) स्थित है जो कि वर्तमान में राजस्व ग्राम कालवा छोटा के खसरा संख्या 15/1 में दर्ज है।

यह है कि अपीलार्थी के दादा/पिता श्री चौथाराम पुत्र दोलाराम जी का सन् 1981 में निर्वसीयती देहान्त हो गया, खातेदार श्री चोथाराम जी के देहान्त के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूचि के वर्ग –1 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी (वारिस) उनके निम्नलिखित थे :–

3 पुत्रः–छिगनाराम, हरदीन व रामेश्वर

2 पुत्रियॉ– चांदुदेवी व गीतादेवी

धर्मपत्नि – चूंकी देवी

यह है कि उपरोक्त पैरा संख्या 2 में अंकित खसरा संख्या 15/1 की 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री चौथाराम जी के निर्वसीयती देहान्त पर यह भूमि उनके वारिसान (जो उपरोक्त पैरा संख्या 03 में अंकित है।) को उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हुई , श्री चौथाराम जी के देहान्त के पश्चात उनकी धर्मपत्नि श्रीमती चूंकीदेवी व दो पुत्र श्री छिगनाराम जी एवं श्री हरदीनजी का भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

देहान्त हो चुका है, श्री छिगनाराम जी के वारिसान अपीलार्थी संख्या 1 ता 3 है एवं श्री हरदीनजी का वारिस प्रत्यर्थी संख्या 02 है।

यह है कि श्री चौथाराम जी व उनकी धर्मपत्नि श्रीमती चूंकीदेवी के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 15/1 की 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि उनके तीना पुत्रों – छिगनाराम, हरदीन व रामेश्वर एवं दो पुत्रियों चांदूदेवी व गीतादेवी के अधिकार में रही एवं प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है अर्थात संख्या एक ता 3 के पिता छिगनाराम जी का 1/5 हिस्सा, अपीलार्थी संख्या चार का 1/5 हिस्सा अपीलार्थी संख्या पांच का 1/5 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या एक 1/5 हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा है।

यह है कि स्वीर्गीय चौथाराम जी के तीनो पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र/प्रत्यर्थी रामेश्वर होशियार व्यक्ति था एवं परिवार के अधिकतर कार्य वही करता था, अपीलार्थी के पिता छिगनाराम बहुत ही सीधे साधे व भोले व्यक्ति थे एवं अपीलार्थी संख्या 4 व 5 अनपढ महिलाऐं है। श्री चौथाराम जी के देहान्त पर पक्षकारान की इस पैतृक भूमि का फौतगी नामान्तरण संख्या 101 प्रत्यर्थी श्री रामेश्वर ने करवाया। प्रत्यर्थी श्री रामेश्वर ने नामान्तरण संख्या 101 करवाते समय चौथाराम जी के अन्य वारिसान धर्मपत्नि श्री मती चूंकादेवी, दो पुत्र श्री छिगनाराम जी व हरदीन जी एवं पुत्रियॉ अपीलार्थी चादूदवी व गीतादेवी का छिपाया, श्री रामेश्वर ने अपने आपको श्री चौथाराम जी का इकलोता पुत्र/वारिस बताकर स्वयं अकेले के नाम ही नामान्तरण संख्या 101 करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है, उक्त नामान्तरण संख्या 101 करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवेध है, उक्त नामान्तरण संख्या 101 की जानकारी अपीलार्थीगण को अभी दिनांक 15.01.2019 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई है। ग्राम कालवा छोटा के इस नामान्तरण संख्या 101 को श्री मान नायब तहसीलदार मकराना ने स्वीकृत किया है अतःउक्त नामान्तरण संख्या 101 की अपील श्रीमान के समक्ष जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैः–

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की हैः–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1) – यह है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 101 स्वीकृत करने में योग्य अधीनस्थ अदालत नायब तहसीलदार मकराना ने कानूनी एवं वक्याति भूल की है।

{3}(2) – यह है कि अपीलाधीन नामान्तरण 101 गलत दर्ज किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री रामेश्वर ने तत्कालिन पटवारी हल्का से मिलकर मृतक खातेदारी श्री चौथाराम के वारिसान धर्मपत्नि श्रीमती चूंकादेवी , दो पुत्र श्री छिगनाराम जी व हरदीन एवं दो पुत्रिया– चांदूदेवी व गीतादेवी को छिपाया हे, पटवारी हल्का एव भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच नहीं की है एव नायब तहसीलदार मकराना ने भी बिना जांच किये अकेले रामेश्वर के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने में भूल की है।

{3}(3) –यह है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 101 खोलने व स्वीकृत करने की कार्यवाहीयॉ अपीलार्थीगण एवं श्री छिगनाराम जी से चुपके चुपके की गई है।, उक्त नामान्तरण करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अपीलाधीन नामान्तरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित व पूर्णतया अवैध है।

{3}(4) –यह है कि नामान्तरण संख्या 101 नायब तहसीलदार मकराना द्वारा स्वीकृत किया गया है, यह नामान्तरण राजस्व ग्राम कालवा छोटा बास के रिकार्ड का है, राजस्व ग्राम कालवा छोटा बास ग्रामदानी ग्राम है एवं इस ग्राम की ग्राम पंचायत कालवा बड़ा है, उक्त नामान्तरण के समय ग्राम पंचायत प्रभावी कार्य कर रही थी अतः उक्त फौतगी नामान्तरण का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत एवं ग्रामदानी अध्यक्ष को ही था, नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार को यह नामान्तरण करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था अतः उक्त नामान्तरण क्षेत्राधिकार के बाहर होने से भी प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है।

{3}(5) – यह है कि अपीलाधिन नामान्तरण संख्या 101 के कालम संख्या 16 में ''आदेश उपखण्ड अधिकारी परबतसर क्रमांक/राजस्व /875 दिनांक 23.04.1981 के अनुसार'' अंकित है निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने इस तथाकथित आदेश बाबत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी परबतसर, तहसील कार्यालय एवं पटवारी हल्का कार्यालय बाबत पूछताछ की तो अपीलार्थी को यह बतलाया गया कि ऐसा कोई आदेश नही है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

एवं वैसे भी इसी नामान्तरण के कालम संख्या 14 में लिखे इन्द्राज के अनुसार यह नामान्तरण उत्तराधिकार के आधार पर अकेले रामेश्वर के पक्ष में खोला गया है एवं इस कॉलम संख्या 14 में मृतक खातेदार चौथाराम का एक मात्र जायन्दा पुत्र रामेश्वर को दर्शाया गया है जो गलत है प्रत्यर्थी रामेश्वर ने तत्कालिन पटवारी हल्का इत्यादि से मिलकर, तथ्य छिपाकर,झूंठे तथ्य लिखकर कपट पूर्वक कार्यवाहीयों कर अवैध व झूंठा नामान्तरण करवाया है जो निरस्त करने योग्य है।

अतःअपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 101 मौजा कालवा छोटा तहसील मकराना को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार मकराना को प्रकरण रिमाण्ड फरमाकर आदेश दिये जावे कि कालवा छोटा वास तहसील मकराना के खसरा संख्या 15/1 के खातेदार चौथाराम पुत्र दोलाराम बावरी के स्थान पर उसके सभी वारिसान के पक्ष में नामान्तरण किया जावे।

{4} अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 21.01.2019 को इस न्यायालय में पेश की । अपीलान्ट की यह अपील दिनांक 21.01.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड प्राप्त हुआ ।

{5}– प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 21.01.2019 को इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 15.01.2019 को लेने से हुई। तथा अपील न्यायालय में 21.01.19 को पेश की गई है। अपीलान्ट मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनकी पीठ पिछे बिना सुनवाई के पारित/स्वीकृत नामान्तरण में मियाद का कोई महत्व नहीं है। पुत्र पुत्रियॉ प्रथम श्रेणी के वारिसान है और मनमाने ढंग से उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

{6} – वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि :–

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील तथ्यों के बिन्दुओ को दोहराते हए कथन किया कि उक्त नामान्तरण विधि के सामान्य नियमो के विरूद्ध जाकर भरा गया हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये ही चौथाराम की मृत्यु के उपरान्त सभी वारिसान का नाम म्यूटेशन भरा जाना चाहिए था, परन्तु दो पुत्र व पुत्रियॉ के नाम छिपाकर सिर्फ एक ही पुत्र रामेश्वर के नाम भरा गया है।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार कोई भी अभिधारी निर्वसीयत मर जावे तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यागत होगा। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसो को जो अनुसूचि के वर्ग 01 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी हैं को न्यागत होगी । वर्ग 1 के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, उसकी विधवा तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात मृतक की विधवा, पुत्र उसकी विधवा तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात मृतक की विधवा पुत्र या पुत्रिया प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। पुत्र व पुत्रियॉ प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं और उनको मनमाने ढंग से नहीं छोड़ा जा सकता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरण संख्या 101 दिनांक 30.05.1981 स्वीकृत किया गया है जिसके द्वारा मृतक खातेदार के एक ही पुत्र रामेश्वर के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दीं गयी है, इस प्रकार इस नामान्तरण को दर्ज कर स्वीकृत करने में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः नामान्तरण संख्या 101 दिनांक 30.05.1981 ग्राम छोटा कालवा तहसील मकराना निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आदेश ::::

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मौजा कालवा छोटा के नामान्तरकरण संख्या 101 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मकराना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षो को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)